न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 414/2023

अनवान : –

1. जसवीर सिंह पुत्र संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जयमल पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पूर्णराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्री हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुरतड़ी उर्फ सरस्वती पत्नी सोहनलाल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. चन्दो पत्नी कालुराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. कृष्णलाल पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. साहबराम पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मुखराम पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. छिन्द्र देवी पुत्री मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सिलोचना पत्नी संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. ममता पुत्री संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –29/2/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 के जमाबंदी सम्वत 2076–79 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 139/135 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम पुत्र बीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के दादा हीराराम पुत्र बीरूराम का स्वर्गवास दिनांक 11.03.2015 को हो चुका है वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक ...14 को एक वसीयत की थी जिसकेक अनुसार राजस्थान प्रांत में स्थित जायदाद को ... अपने चार पुत्रो संतराम, रामकुमार, पूर्णराम व जयमल प्रत्येक को 1/7 हिस्सा व पुत्र वधु रूकमा पत्नी फूला... को 1/7 हिस्स, पुत्र वधु चन्दो देवी पत्नी कालुराम को 1/7 हिस्सा, सुरतड़ी पत्नी सोहनलाल को 1/7 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:32:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की वसीयत करवायी थी। वादी के दादा हीराराम पुत्र बीरूराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह छिन्दा सिंह पंच ग्राम पंचायत मौजूखेड़ा ब्लॉक ऐलनाबाद व गोरू पुत्र राजकुमार सोनी निवासी मौजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा की मौजूगदी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था वसीयत मजमून ऐडवोकेट चन्दनलाल ऐलनाबाद सिरसा द्वारा तैयार करवायी गयी थी उक्त वसीयत उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी ऐलनाबाद द्वारा पंजीकृत है जो पंजीयन क्रमांक 115 दिनांक 12.12.2014 को बही संख्या 3 जिल्द संख्या 58 के पृष्ठ संख्या 21 से 22 पर करवायी गयी है।

उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं की पैदाकृता भूमि है। वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नही है तथा वसीयतकर्ता हीराराम पुत्र बीरूराम के देहान्त के बाद वसीयतकर्ता के एक पुत्र सन्तराम व पुत्र वधु रूकमा पत्नी फुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। सन्तलाल के देहान्त के बाद जायज वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 है तथा रूकमा के देहान्त के बाद जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 है। प्रतिवादी संख्या 10 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी संख्या 10 ने अपना समस्त हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त दोनों खातों की भूमि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 139/135 में मृतक हीराराम पुत्र बीरूराम के नाम दर्ज भूमि में से 6/7 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब काबिज है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। हरीराम उर्फ हीराराम पुत्र बीरूराम का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री छिन्द्रा सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मौजाखेड़ा तह0 ऐलानाबाद जिला सिरसा तथा श्री गौरू उर्फ गौरव कुमार सोनी पुत्र राजकुमार निवासी मौजुखेड़ा ने शसपथ बयान किये की बिरूराम पुत्र बक्शाराम जाति नायक निवासी मौजूखेड़ा ने अपने पत्रों व पूत्र वधुओं के पक्ष में दिनांक 12.12.2014 को तहरीर करवायी थी। वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवास में मेरे सामने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान वसीयत पर लगाये। गवाहान के बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित जमाबंदी रोही मौजा 15 एनटीआर खाता संख्या 139

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रदर्श–1, जमाबंदी 15 एनटीआर खाता संख्या 169 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र हीराराम प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र रूकमा प्रदर्श–4, वारिसान तस्दीक वार्ड पार्षद मनफुल प्रदर्श–5, वारिसान तस्दीक संतराम/हीराराम प्रदर्श–6, मूल वसीयत प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवाये। वादी एवं वसीयत के गवाह छिन्दासिंह द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 के जमाबंदी सम्वत 2076–79 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 139/135 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम पुत्र बीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के दादा हीराराम पुत्र बीरूराम का स्वर्गवास दिनांक 11.03.2015 को हो चुका है वादी के दादा ने अपने जीवन काल में दिनांक 12.12.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार राजस्थान प्रांत में स्थित जायदाद की वसीयत अपने चार पुत्रो संतराम, रामकुमार, पूर्णराम व जयमल प्रत्येक को 1/7 हिस्सा व पुत्र वधु रूकमा पत्नी फूलाराम को 1/7 हिस्स, पुत्र वधु चन्दो देवी पत्नी कालुराम को 1/7 हिस्सा, सुरतड़ी पत्नी सोहनलाल को 1/7 हिस्सा की वसीयत करवायी थी। वादी के दादा हीराराम पुत्र बीरूराम की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश के साथ दो गवाह छिन्दा सिंह पंच ग्राम पंचायत मौजूखेड़ा ब्लॉक ऐलनाबाद व गोरू पुत्र राजकुमार सोनी निवासी मौजूखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा की मौजूगदी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था वसीयत मजमून ऐडवोकेट चन्दनलाल ऐलनाबाद सिरसा द्वारा तैयार करवायी गयी थी उक्त वसीयत उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी ऐलनाबाद द्वारा पंजीकृत है जो पंजीयन कमांक 115 दिनांक 12.12.2014 को बही संख्या 3 जिल्द संख्या 58 के पृष्ठ संख्या 21 से 22 पर करवायी गयी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि के संबंध मे किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 के जमाबंदी सम्वत 2076–79 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 139/135 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पुत्र बीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र हीराराम से साबित है कि हीराराम पुत्र बीरूराम का दिनांक 11.03.2015 को देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयत से साबित है कि हीराराम पुत्र बिरूराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 12.12.2014 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार राजस्थान प्रांत में स्थित जायदाद की वसीयत अपने चार पुत्रो संतराम, रामकुमार, पूर्णराम व जयमल प्रत्येक को 1/7 हिस्सा व पुत्र वधु रूकमा पत्नी फूलाराम को 1/7 हिस्स, पुत्र वधु चन्दो देवी पत्नी कालुराम को 1/7 हिस्सा, सुरतड़ी पत्नी सोहनलाल को 1/7 हिस्सा की वसीयत तहरीर करवायी थी। वसीयत के गवाहन श्री छिन्द्रा सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मौजाखेड़ा तह0 ऐलानाबाद जिला सिरसा तथा श्री गौरू उर्फ गौरव कुमार सोनी पुत्र राजकुमार निवासी मौजुखेड़ा ने सशपथ बयान किये की बिरूराम पुत्र बक्शाराम जाति नायक निवासी मौजूखेड़ा ने अपने पत्रों व पूत्र वधूओं के पक्ष में दिनांक 12.12.2014 को तहरीर करवायी थी। वसीयतकर्ता ने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवाश में मेरे सामने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान वसीयत पर लगाये थे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 के जमाबंदी सम्वत 2076–79 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा में मृतक हरीराम पुत्र बीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 139/135 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक हीराराम पुत्र बीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त दोनों खातों की 1/2 हिस्सा भूमि में से 6/7 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 1/7 हिस्सा भूमि का का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:36 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 414/2023
अनवान : –

1. जसवीर सिंह पुत्र संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जयमल पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पूर्णराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्री हीराराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुरतड़ी उर्फ सरस्वती पत्नी सोहनलाल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. चन्दो पत्नी कालुराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रामप्रताप पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. कृष्णलाल पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. साहबराम पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. मुखराम पुत्र मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. छिन्द्र देवी पुत्री मनफूल जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. सिलोचना पत्नी संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. ममता पुत्री संतराम जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 414 सन 2023 निर्णय दिनांक...... 29/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 169/160 के जमाबंदी सम्वत 2076–79 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा में मृतक हरीराम पुत्र बीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 139/135 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक हीराराम पुत्र बीरूराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त दोनों खातों की 1/2 हिस्सा भूमि में से 6/7 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 1/7 हिस्सा भूमि का का प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:36 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर